

बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001

विज्ञापन सं.- 04/2020 के अधीन असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोर्ट) के आरक्षण कोटिवार रिक्त कुल 221 (दो सौ इक्कीस) पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक-08.12.2020 को आयोजित 31वीं बिहार न्यायिक सेवा (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा में 2379 सफल उम्मीदवारों से मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश इस विज्ञापन के साथ बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 876, दिनांक 19.01.2021 के आलोक में रिक्त 221 (दो सौ इक्कीस) पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत् है :-

क्र. सं.	कोटि	अनुमान्य पदों की कुल संख्या	35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या
1.	अनारक्षित	88	33
2.	अनुसूचित जाति	35	14
3.	अनुसूचित जनजाति	02	00
4.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	47	16
5.	पिछड़ा वर्ग	26	09
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	23	07
	कुल	221	79

नोट:- सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-14837, दिनांक 30.10.2019 के द्वारा बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 के आलोक में उक्त पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए 1 (एक) प्रतिशत अस्थि विकलांगों के लिए क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है। तदनुसार 2 (दो) पद अस्थि विकलांगों के लिए क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत अनुमान्य होंगे।

2. **शैक्षणिक योग्यता** :- बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षोत्तीर्ण। शैक्षणिक योग्यता के लिए विभिन्न महाविद्यालयों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत उपाधि के संबंध में उम्मीदवारों को महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्रधान, अथवा विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित यह प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा कि संबंधित शिक्षण सत्र में उक्त महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। उक्त प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

3. **उम्र सीमा** - दिनांक 01.08.2019 को उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र सीमा 22 वर्ष से अधिक एवं दिनांक- 01.08.2018 को अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। परन्तु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए (महिला एवं अस्थि विकलांग श्रेणी सहित) तथा अनारक्षित श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों के लिए उक्त तिथि को उम्र 40 वर्ष से कम एवं 22 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

4.(i) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या-17283, दिनांक-28.12.2016 के आलोक में प्राक्धान निम्नवत् है:-

1. महिला एवं अस्थि विकलांग अभ्यर्थियों सहित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से प्रत्येक सिद्धान्त विषय के लिए 5 प्रतिशत कम न्यूनतम अर्हतांक होंगे एवं कुल प्राप्तांक से 5 प्रतिशत कम न्यूनतम अर्हतांक होंगे।
2. महिला एवं अस्थि विकलांग सहित आरक्षित श्रेणी से भिन्न अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने हेतु 05 (पाँच) से अधिक अवसर नहीं प्राप्त होंगे।

(ii) **चयन का आधार** :- नियुक्ति हेतु चयन, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।

लिखित मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्नवत् है :-

(क) परीक्षा के अनिवार्य विषय-

क्र. सं.	विषय	विषय कोड	पूर्णांक
1.	सामान्य ज्ञान (सामयिक घटनाओं सहित) (General Knowledge including current affairs)	01	150
2.	प्रारम्भिक सामान्य विज्ञान (Elementary General Science)	02	100
3.	सामान्य हिन्दी (General Hindi)	03	100
4.	सामान्य अंग्रेजी (General English)	04	100
5.	साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि (Law of Evidence & Procedure)	05	150

सामान्य हिन्दी और अंग्रेजी पत्र में न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक 30 होगा जिसे नहीं प्राप्त करने पर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्यताप्राप्त नहीं माना जायेगा। सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी के प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जोड़े जायेंगे।

(ख) परीक्षा के ऐच्छिक विषय :- (किसी तीन विषय)

उम्मीदवारों को निम्नांकित पाँच विषयों में से किसी तीन विषय को चुनने का विकल्प होगा :-

क्र. सं.	विषय	विषय कोड	पूर्णांक
6.	भारत की सांविधानिक एवं प्रशासनिक विधि (Constitutional and Administrative Law of India)	06	150
7.	हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि (Hindu Law & Muhammadan Law)	07	150
8.	संपत्ति अंतरण विधि (Law of Transfer of Property) और साम्य सिद्धान्त (Principles of Equity), न्याय विधि-विशिष्ट और अनुतोष (Law of Trusts and Specific Relief) सहित	08	150
9.	संविदा और अपकृत्य विधि (Law of Contracts & Torts)	09	150
10.	वाणिज्य विधि (Commercial Law)	10	150

उपर्युक्त ऐच्छिक विषयों में से किसी तीन विषयों का चयन उम्मीदवारों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन के क्रम में किया जा चुका है। अभ्यर्थी, आवश्यकतानुसार प्रारम्भिक परीक्षा हेतु किये गये ऑनलाईन आवेदन में चयनित वैकल्पिक विषय में परिवर्तन कर सकते हैं।

(ग) लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 100 अंकों का साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण आयोजित किया जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या-16645, दिनांक 03.12.2014 एवं पत्रांक- 14803, दिनांक 22.11.2017 के आलोक में मौखिक (साक्षात्कार) परीक्षा के लिए योग्यता प्रदायी अंक 35 प्रतिशत होगा। (लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी) असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोर्ट) के संवर्ग का कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष पूरा होने के पूर्व छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है तो उसे तीन माह पूर्व इसकी सूचना देनी होगी अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा करना होगा।

5. **आरक्षण:**

(i) प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावा के आधार पर आरक्षण का लाभ देय होगा एवं उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं है।

(ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी (निवासी) को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।

(iii)(A) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र संख्या 673, दिनांक 08.03.2011 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार यथा; अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :-

(a) जाति प्रमाण-पत्र

(b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :-

(a) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र/मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/स्थायी निवास प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के दिन मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।

(iv) दिव्यांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में चिकित्सा पत्र से निर्गत निःशक्ता/दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2342, दिनांक-15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या - 12726, दिनांक 30.12.2020 के आलोक में 10 प्रतिशत रिक्तियों आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित होगी। यह प्राक्धान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण

[Handwritten signature]

के अतिरिक्त होगी। परन्तु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।

- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I (प्रपत्र-I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक- 16144, दिनांक- 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

शुल्क :-

- (i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए- 750/- (सात सौ पचास) रुपये
 (ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
 (iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की) महिला उम्मीदवारों के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
 (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
 (v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए- 750/- (सात सौ पचास) रुपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

वैसे सभी बिहार राज्य के स्थायी निवासी महिला उम्मीदवार एवं सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी, जो बिहार राज्य की स्थायी निवासी महिला/दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा उसी अनुरूप में परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है। लेकिन भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है, तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। बिहार राज्य की स्थायी निवासी महिला उम्मीदवारों, दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

7. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:-

1.	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	दिनांक 19.02.2021
2.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	दिनांक 18.03.2021
3.	आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी एवं सभी कागजात/प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि	दिनांक 25.03.2021 अपराह्न 5:00 बजे तक

- (i) मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाइन आवेदन में कतिपय बॉक्स पूर्व से भरे होंगे एवं कतिपय बॉक्स रिक्त होंगे। उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा 31वीं बिहार न्यायिक सेवा (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन भरने के समय जो विवरणी/सूचनाएँ भरी गई थी, वहीं सूचना/विवरणी मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में पूर्व से भरी रहेंगी एवं उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रावधान नहीं (वैकल्पिक विषय को छोड़कर) है। आवेदक उक्त ऑनलाइन आवेदन के खाली बॉक्स में सूचना भरते हुए आवेदन के अन्त में विज्ञापन में वर्णित प्रमाण पत्र/कागजात की विवरणी भरेंगे।

- (ii) उपर्युक्त विज्ञापन के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

- (iii) इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (iv) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
- (v) मात्र भुगतान कर लेने से यह नहीं माना जायेगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से आवेदन भर लिया गया है।

8. महत्वपूर्ण निर्देश:-

- (i) अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीले स्याही से हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हुए उक्त हार्ड कॉपी के साथ निम्नांकित सभी प्रमाण-पत्र/कागजात की प्रति केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह दिनांक 25.03.2021 के अपराह्न 5.00 बजे तक संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना-800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए। उक्त हार्ड कॉपी के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रेमाणित प्रतियाँ अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करें :-

- (a) मैट्रिक का प्रमाण-पत्र/मैट्रिक का अंक पत्र (जन्म तिथि के प्रमाण के लिए);
 (b) विधि स्नातक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र;
 (c) विधि स्नातक का अंक पत्र;
 (d) बार काउन्सिल ऑफ इंडिया से विधि स्नातक डिग्री की मान्यता से संबंधित संस्थान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र;
 (e) वैसे महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के प्रधान द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र जहाँ अभ्यर्थी सबसे अंत में अध्ययनरत रहा हो;
 (f) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं स्थायी प्रमाण पत्र (दावा करने की स्थिति में);
 (g) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमिलेयर रहित प्रमाण-पत्र (दावा करने की स्थिति में)
 (h) अस्थि विकलांग उम्मीदवारों के लिए चिकित्सा पर्षद द्वारा निर्गत निःशक्तता/दिव्यांगता प्रमाण पत्र (दावा करने की स्थिति में);
 (i) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक- 26.02.2019 के साथ संलग्न अनुसूची-I (प्रपत्र-I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र (दावा करने की स्थिति में);
 (j) केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त हों, तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate);
 (k) फोटोयुक्त पहचान पत्र

- (ii) यदि किसी भी अभ्यर्थी का डाउनलोड हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण-पत्र/कागजात आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक नहीं प्राप्त होता है, तो उक्त अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से भरा नहीं माना जाएगा तथा उन्हें प्रवेश-पत्र नहीं निर्गत किया जाएगा और न ही उन्हें लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा।


- (iii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

- (iv) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी की एक अन्य प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

9. योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र के

निर्गत होने की तिथि, प्रारम्भिक परीक्षा हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 31.08.2020 तक या पूर्व का होना आवश्यक है।

10. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
11. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।
12. इस विज्ञापन के लिए जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, डैशबोर्ड से डाउनलोड हार्ड कॉपी के साथ संलग्न पता पर्ची (Address Slip) एवं प्रेषक पर्ची (Sender's Slip) को लिफाफे पर चिपकायेंगे।
13. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट www.bpsc.blh.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
14. इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
15. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना